मध्यप्रदेश राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण, एप्को

//कार्यवाही विवरण//

विषय - म.प्र. राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण की 5वीं बैठक दिनांक 01.04.2025 का कार्यवाही विवरण।

म. प्र. राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण की 5वीं बैठक माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश की अध्यक्षता में दिनांक 01.04.2025 को मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल में संपन्न हुई। बैठक में उपस्थित सदस्यों का विवरण **परिशिष्ट 1** पर संलग्न है।

2/- बैठक के प्रारंभ में सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण, पर्यावरण विभाग की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्य मंत्री जी, पर्यावरण एवं वन विभाग तथा मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन व सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया तथा प्राधिकरण के कार्यों, उद्देश्यों एवं प्रमुख उपलब्धियों के बारे में अवगत कराया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदस्य सचिव, म. प्र. राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण द्वारा 5वीं बैठक का कार्यसूचीवार प्रस्तुतीकरण किया गया। बैठक में निम्नानुसार निर्णय लिए गये :-

(1) मध्यप्रदेश राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण की चतुर्थ बैठक दिनांक 13.08.2024 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गयी।

(2) चतुर्थ बैठक के निर्देशों के पालन में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष मुख्य सचिव, महोदय ने निर्देश दिये कि उल्लेखित प्रकरणों की अद्यतन स्थिति संबंधित विभागों/सस्थाओं से पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर परिशिष्ट सहित प्रस्तुत की जाना चाहिए। सिरपुर, वेटलैंड इंदौर के प्रस्तावित तितली पार्क के संबंध में नगर निगम, इंदौर एवं भोज वेटलैंड, भोपाल को जैवविविधता हेरिटेज साईट घोषित करने सम्बन्धी प्रस्ताव नगर निगम, भोपाल एवं बायोडायवर्सिटी बोर्ड से समन्वय कर कार्यवाही की जाना चाहिए।

(कार्यवाही- नगर निगम इंदौर/भोपाल एवं मध्यप्रदेश राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण)

(3) **मान. उच्चतम न्यायालय के आदेश दि. 11/12/2024 के पालन में Wetland Boundary Demarcation एवं Ground Truthing सम्बन्धी कार्य।**

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के पालन में ISRO/SAC के एटलस 2021 अनुसार प्रदेश के 2.25 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के 13,565 वेटलैण्ड्स का प्रदेश में राजस्व विभाग व वन विभाग के सहयोग से एवं जिला प्रशासन के माध्यम से भौतिक सत्यापन एवं सीमांकन का कार्य सुचारू रूप से किया गया है। जिन जिलों में व्यावहारिक कठिनाईयों के कारण भौतिक सत्यापन एवं सीमांकन का कार्य शेष है, उसे यथाशीघ्र पूर्ण कराया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने प्रदेश में इस वृहद कार्य को समय-सीमा में पूर्ण करने के लिए सराहना की।

मुख्य सचिव महोदय ने कहा कि मान. उच्चतम् न्यायालय के आदेश की भावना, वेटलैण्ड्स का दीर्घकालीन संरक्षण सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि जिलों द्वारा भौतिक सत्यापन एवं सीमांकन उपरांत कार्ययोजना बनायी जानी चाहिए तथा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि वेटलैण्ड्स का गैर वेटलैंड कार्यों में उपयोग तो नहीं हो रहा। अपर मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने कहा कि भौतिक सत्यापन एवं सीमांकित किए गए वेटलैण्ड्स का डेटाबेस संबंधित विभागों के साथ साझा किया जाए ताकि विभाग स्तर से आवश्यक निर्देश जारी किए जा सकें।

(कार्यवाही- समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश एवं मध्यप्रदेश राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण)

सदस्य सचिव,
म. प्र. राज्य वेटलैंड प्राधिकरण,
एप्को, पर्यावरण विभाग, म.प्र. शासन

(4) **भोज वेटलैण्ड (रामसर साइट), भोपाल को अधिसूचित करने हेतु संक्षिप्त प्रतिवेदन (Brief Document) का अवलोकन।**

सदस्य सचिव ने निवेदन किया कि भोपाल के भोज वेटलैण्ड को वेटलैण्ड नियम 2017 व सहपठित क्रियान्वयन मार्गदर्शिका की कंडिका 66 पृष्ठ क्र. 17 अनुसार अधिसूचित किया जाना है। इस प्रकरण के संबंध में चर्चा के दौरान अपर मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया कि प्रकरण नगर निगम, भोपाल द्वारा राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण को भेजा गया है तथा विभाग स्तर पर परीक्षण किया जाना है।

(कार्यवाही- नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा मध्यप्रदेश राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण)

(5) **पर्यटन विकास निगम के क्रूज को स्टेशनरी floating restaurant की अनुमति।**

पर्यटन विकास निगम द्वारा भोज वेटलैण्ड (बडे तालाब) में संचालित क्रूज का माननीय एनजीटी के एक आदेश दिनांक 12.09.2023 से संचालन रोक दिया गया है। इस क्रूज को अब stationary floating restaurant के रूप में उपयोग करने के संबंध में पर्यटन विकास निगम का एक पत्र प्राप्त हुआ था। राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण की तकनीकी समिति में दिनांक 27.02.2025 को इस सम्बन्ध में चर्चा हुई जिसमें पर्यटन विकास निगम के अधिकारी भी उपस्थित थे। तकनीकी समिति ने यह निर्णय लिया कि वर्तमान में इस प्रस्ताव के संबंध में और अधिक जानकारी एवं विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त किया जाना उचित होगा। इस निर्णय के तारतम्य में पर्यटन विकास निगम द्वारा एक प्रस्ताव दिनांक 25.03.2025 को राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण को प्रेषित किया। इस प्रस्ताव को प्राधिकरण की 5वीं बैठक में प्रस्तुत किया गया।

बैठक में उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि क्रूज पर पर्यटकों के सुविधा के लिए बायो-टॉयलेट्स अथवा पर्यावितैषी (Eco-friendly) तकनीक के प्रसाधन सुविधा प्रदाय किये जाने की संभावनाएं भी तलाशी जावें।

प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास ने सुझाव दिया कि क्रूज पर किसी एक समय पर उपस्थित आगन्तुक / पर्यटकों की संख्या भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त क्रूज के माध्यम से किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण न हो ताकि तालाब एवं उसके आसपास मनुष्यों, पशु-पक्षियों, पर्यावरण को किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

निर्णय:- पर्यावरण विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा भोज वेटलैण्ड के संबंध में जारी प्रशासकीय आदेश दिनांक 16.03.2022 की कंडिका 4(c)vii के अनुसार इको-टूरिस्म अनुज्ञात गतिविधि (Permitted Activity) उल्लेखित है। अतः पर्यटन विकास निगम को बड़ा तालाब (भोज वेटलैंड) भोपाल में क्रूज संचालन हेतु राज्य वेटलैंड प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से अनुज्ञात गतिविधि (Permitted Activity) के रूप में निम्नलिखित बिन्दुओं के पालन की शर्त पर अनुमति दी जाती है :-

- फ्लोटिंग रेस्टारेंट क्रूज का संचालन समुदाय आधारित ईको-टूरिज्म के सिद्धांतों पर किया जावेगा।
- किसी भी प्रकार का स्थाई निर्माण नहीं होगा।
- फ्लोटिंग रेस्टारेंट क्रूज पानी में किनारे पर स्थिर खड़ा रहेगा।
- इस फ्लोटिंग रेस्टारेंट क्रूज में भोजन आदि बनाने का कार्य नहीं होगा।
- ऊर्जा एवं बिजली आदि की व्यवस्था भी बाहरी स्रोत से होगी।
- फ्लोटिंग रेस्टारेंट क्रूज से निकलने वाले कचरे को एकत्र कर नगर निगम की व्यवस्थानुसार निष्पादित किया जाये।

सदस्य सचिव,
म. प्र. राज्य वेटलैंड प्राधिकरण,
एप्को, पर्यावरण विभाग, म.प्र. शासन

- फ्लोटिंग रेस्टारेंट क्रूज के उपयोग से स्थानीय समुदाय को आजीविका एवं रोजगार के अवसर मिलें।
- फ्लोटिंग रेस्टारेंट क्रूज पर आने वाले आगन्तुकों की संख्या का निर्धारण Carrying Capacity को ध्यान में रखते हुए इस तरह हो कि तालाब की पारिस्थितिकी पर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव न हो।
- फ्लोटिंग रेस्टारेंट क्रूज से किसी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण न हो, ताकि वेटलैण्ड एवं उसके आसपास मनुष्यों, पशु-पक्षियों को एवं पर्यावरण में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।
- इस फ्लोटिंग रेस्टारेंट क्रूज पर आने वाले सभी आगन्तुकों की सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाये एवं आगन्तुकों के कारण जलीय जीव-जन्तुओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न हो।
- यह भी सुनिश्चित किया जाए की फ्लोटिंग रेस्टारेंट एवं क्रूज संचालन के सम्बन्ध में माननीय सुप्रीम कोर्ट एवं माननीय NGT द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों में उल्लेखित शर्तो का किसी भी तरह उल्लंघन नहीं हो।

(कार्यवाही- मध्यप्रदेश राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण/पर्यटन विकास निगम)

(6) **वेटलैंड नियम अंतर्गत विशेष अनुमति हेतु भारत शासन को प्रस्ताव**

बैठक में अवगत किया गया कि वेटलैण्ड नियम 2017 उन वेटलैण्ड्स पर लागू हैं, जो रामसर साइट के रूप में चिन्हित हैं या फिर इन नियमों के अंतर्गत अधिसूचित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पालन में केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम् दिनांक 08.03.2022 के अनुसार वेटलैण्ड नियम की प्रतिबंधात्मक गतिविधियाँ 4(2) देश के उन सभी वेटलैण्ड्स पर लागू होगी जिनका क्षेत्रफल 2.25 हैक्टेयर से अधिक है।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रदेश के सभी वेटलैंड्स (>2.25 हैक्टेयर) की 50 मीटर की सीमा में किसी भी प्रकार के स्थायी निर्माण पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। अतः यदि किसी वेटलैण्ड्स की 50 मीटर की सीमा के अन्दर पूर्व से निर्मित घाटों के रखरखाव, संधारण एवं पुनर्निमाण कार्य, अथवा सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट/ सीवेज पंप हाउस का कार्य किया जाना प्रस्तावित है, ऐसे कार्य को करना संभव नहीं होता है।

इसके अतिरिक्त माननीय एनजीटी के निर्देश के अनुसार रामसर साइट्स में मोटर चलित नावों का संचालन भी प्रतिबंधित है। उपरोक्त् कार्यों को संपादित करने हेतु वेटलैंड नियम को शिथिल करने संबंधी अधिकार वेटलैण्ड नियम की धारा 4 एवं धारा 6(3)d में राष्ट्रीय वेटलैण्ड समिति को हैं।

इसके अतिरिक्त बैठक में अवगत किया गया कि भोपाल के छोटे तालाब (भोज वेटलैण्ड) में मध्यप्रदेश हाउसिंग एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर बोर्ड द्वारा शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए नवीन फ्लाई ओवर के निर्माण का प्रस्ताव है। इस फ्लाईओवर के साथ छोटे तालाब के FTL से 50 मीटर के दायरे में लगभग 700-800 मीटर लम्बी एक सड़क निर्माण प्रस्तावित है तथा छोटे तालाब के अंदर लगभग 300 मीटर का फ्लाईओवर प्रस्तावित है।

निर्णय:- पर्यावरण विभाग, म. प्र. शासन द्वारा भोज वेटलैण्ड के संबंध में जारी आदेश दिनांक 16.03.2022 में संशोधन की सम्भावना के दृष्टिगत भोज वेटलैण्ड सहित अन्य रामसर साइट्स में निम्नलिखित गतिविधियों के संबंध में राज्य वेटलैंड प्राधिकरण द्वारा विधिक परामर्श प्राप्त किया जाये :-

- मान. एनजीटी के निर्देश के पालन में भोज वेटलैण्ड में मोटर चलित क्रूज के संचालन पर लगी रोक के दृष्टिगत भोज वेटलैण्ड एवं अन्य रामसर साइट्स में बैटरी अथवा सोलर चलित मोटर बोट्स के **संचालन।**

सदस्य सचिव,
म. प्र. राज्य वेटलैंड प्राधिकरण,
पर्यावरण विभाग, म.प्र. शासन

- भोज वेटलैण्ड एवं अन्य रामसर साइट्स में पूर्व से निर्मित संरचनाओं यथा घाटों के रखरखाव, संधारण एवं पुनर्निमाण संबंधी कार्य।
- किसी वेटलैंड में उसके स्वामित्व जैसे किसी संस्था या निकायों से सम्बंधित विशेष कार्य के प्रस्ताव।
- प्राधिकरण के उपाध्यक्ष मुख्य सचिव ने कहा कि 3-4 विभाग के संबधित अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव से भी इस प्रकार के प्रकरण पर परामर्श प्राप्त किया जाये।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि मध्यप्रदेश हाउसिंग एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर बोर्ड के प्रस्ताव में वेटलैण्ड नियम की मार्गदर्शिका कंडिका 47 पृष्ठ क्र. 13 में उल्लेखित जानकारी (Activity for which permission is sought; Justification thereof; The premise on which the activity is not considered detrimental to the wetland's ecological character; & Supporting evidence-base, such as an expert report, EIA, mitigating measures proposed to be undertaken etc.) को समाहित कर संपूर्ण प्रस्ताव को राज्य वेटलैंड प्राधिकरण की अनुशंसा के साथ राज्य शासन के माध्यम से भारत शासन को विशेष अनुमति हेतु प्रेषित किया जाये।

(कार्यवाही- पर्यावरण विभाग/मध्यप्रदेश राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण)

(7) **माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य कोई विषय।**

म. प्र. राज्य वेटलैंड प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्राधिकरण द्वारा किये गए कार्यों पर संतोष व्यक्त किया। बैठक माननीय अध्यक्ष महोदय के प्रति आभार एवं धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई।

(अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित)

(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव
राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण

सदस्य सचिव,
म. प्र. राज्य वेटलैंड प्राधिकरण,
एप्को, पर्यावरण विभाग, म.प्र. शासन